न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक 810–पीबीआर/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 24–2–2014 पारित द्वारा तहसीलदार, ग्वालियर जिला ग्वालियर प्रकरण क्रमांक 68/2010–11/अ–6.

.....

राकेश कुशवाह पुत्र मुशीसिंह
निवासी गोमती की फड़ी
सिकन्दर कम्पू, लश्कर, ग्वालियर .....आवेदक

विरूद्ध

1– नैहनाराम पुत्र नंदराम
निवासी गोमती की फड़ी
सिकन्दर कम्पू, लश्कर, ग्वालियर
2– म0 प्र0 शासन .....अनावेदकगण

.....

श्री विवेक श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदक
श्री एन.डी. शर्मा, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 8/7/15 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार, ग्वालियर जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–2–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि तहसीलदार, ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 68/2010–11/अ–6 में दिनांक 31–5–2011 को पारित आदेश से ग्राम शहर लश्कर स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 1228 रकबा 0.042 हेक्टेयर के भूमिस्वामी रामदयाल

पुत्र भोईलाल के स्थान पर अनावेदक कमांक 1 नैहनाराम का वसीयत के आधार पर नामान्तरण स्वीकृत किया गया । इस सम्बन्ध में आवेदक राकेश कुशवाह द्वारा दिनांक 9–1–2014 को आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष इस आशय की शिकायत प्रस्तुत की गई कि प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदक कमांक 1 द्वारा फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नामान्तरण कराया गया है, अतः उक्त नामान्तरण निरस्त किया जाकर उसके विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया जाये । तहसीलदार द्वारा नामान्तरण प्रकरण का अवलोकन कर अवैधानिकता पाते हुए संहिता की धारा 51 के अन्तर्गत पुनर्विलोकन की अनुमति हेतु प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी, लश्कर, ग्वालियर को प्रस्तुत किया गया, और अनुमति प्राप्त कर उक्त नामान्तरण के सम्बन्ध में जांच एवं कार्यवाही प्रारम्भ की गई । कार्यवाही के दौरा आवेदक द्वारा व्यवहार प्रकिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत तहसीलदार के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा दिनांक 24–2–2014 को अन्तरिम आदेश पारित कर यह निष्कर्ष निकालते हुए कि आवेदक शिकायतकर्ता प्रकरण में आवश्यक पक्षकार नहीं है, परन्तु वसीयत पर हुए नामान्तरण के सम्बन्ध में निष्पक्ष जांच की जाना आवश्यक है । जहां तक भूमि पर से आने–जाने का प्रश्न है, यह सुखाधिकार से सम्बन्धित है, जिसके सम्बन्ध में पृथक से कार्यवाही की जा सकती है, आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त कर प्रकरण अनावेदक कमांक 1 की साक्ष्य हेतु नियत किया गया । तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि वह शासन हित एवं जनहित में शिकायतकर्ता है, इस कारण वह प्रकरण में आवश्यक पक्षकार है, क्योंकि उसे वास्तविक तथ्यों का ज्ञान है, जिसे वह तहसील न्यायालय के संज्ञान में ला सकता है । इस आधार पर कहा गया कि शासन हित में उसे पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है, परन्तु तहसीलदार द्वारा उसे पक्षकार नहीं बनाये जाने में अवैधानिक एवं अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है ।

4/ अनावेदक क्रमांक 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि वसीयतकर्ता की पत्नी पुष्पादेवी जीवित है, इसलिए यह कथन त्रुटिपूर्ण है कि भूमिस्वामी वसीयतकर्ता का कोई वारिस नहीं है । यह भी कहा गया कि तहसीलदार द्वारा कोई आदेश नहीं दिया गया है, और रास्ते के आधार पर आवेदक प्रकरण में आवश्यक पक्षकार नहीं बन सकता है । यदि रास्ते का विवाद है तो संहिता की धारा 131 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकती है ।

5/ अनावेदक क्रमांक 2 शासन के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित है, जिसमें हस्ताक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है ।

प्रत्युत्तर में आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा कहा गया कि पटवारी द्वारा स्वयं प्रतिवेदन में यह उल्लेख किया गया है कि मृतक भूमिस्वामी रामदयाल का कोई वारिस नहीं है ।

6/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सन्दर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार द्वारा निकाला गया निष्कर्ष अपने स्थान पर पूर्णतः वैधानिक एवं उचित है कि आवेदक एवं शासन के मध्य प्रचलित प्रकरण में शिकायतकर्ता आवश्यक पक्षकार नहीं है, क्योंकि विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत करने के पश्चात प्रकरण संबंधित पक्षकार एवं शासन के मध्य प्रचलित हो जाता है और उसके पश्चात शिकायतकर्ता हितबद्ध पक्षकार नहीं रह जाता है । अतः उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में तहसीलदार द्वारा आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है । इस संबंध में आवेदक के विद्वान अभिभाषक का यह तर्क उचित नहीं है कि वास्तविक तथ्यों को संज्ञान में लाने के लिये शिकायतकर्ता को पक्षकार बनाया जाना चाहिये था । क्योंकि यह तहसीलदार का दायित्व है कि वह प्रकरण में विधिवत कार्यवाही कर वास्तविक तथ्यों को संज्ञान में लेते हुये प्रकरण का निराकरण करें ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–2–2014 विधिसंगत एवं औचित्यपूर्ण होने से स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, म0 प्र0
ग्वालियर